

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

~~~~~

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखण्ड अभियोजन सेवा के सहायक लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति के पूर्व शैक्षणिक/जाति/आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्यक्रम दिनांक - 11.04.23 को झारखण्ड मंत्रालय, पोस्टेक्ट भवन धुर्बा, राँची स्थित सभागार (प्रथम तल) के पूर्वाहन 11.00 बजे निर्धारित किया गया है।

2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखण्ड अभियोजन सेवा के सहायक लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट [www.jharkhand.gov.in](http://www.jharkhand.gov.in) के Department of Home, Prison & Disaster Management के Publication Folder पर उपलब्ध है।

3. सभी अनुशंसित अभ्यर्थी यथानिर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी विज्ञापन में विहित जाति/आवासीय आदि प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ (दो सेट), आयोग द्वारा मुख्य परीखा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र की मूल प्रति एवं दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होंगे।

4. सभी चयनित अभ्यर्थी संलग्न विहित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि उनके द्वारा सभी समर्पित प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई अपराधवाद/अन्य वाद दायर नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है।

5. किसी नियोक्ता के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा कि अभ्यर्थी को अनुशंसित पद पर योगदान देने हेतु पूर्व नियोक्ता (विभाग/संस्थान) द्वारा विरमित कर दिया जाएगा।

6. दिनांक - 11.04.23 को किसी कारणवश शैक्षणिक/जाति/आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाने वाले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक - 13.04.23 को किया जाएगा।

7. विहित प्रपत्र की प्रति अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची के साथ विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**अनु०:-** शपथ पत्र का विहित प्रपत्र।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-06/अभि० सेवा (स्था०)-08/2023-.....1748...../राँची, दिनांक .....03/04/2023ई०  
प्रतिलिपी:- प्रभारी विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड,  
राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।